रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 1975/कार्तिक 28, 1897
No. 314] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 1975/KARTIKA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November 1975

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Shipping Development Fund (Loans and other Financial Assistance) Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Shipping Development Fund (Loans and other Financial Assistance) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Shipping Development Fund (Loans and other Financial Assistance) Rules, 1975, in sub-rule (4) of rule 10,—

(i) in the opening paragraph, after the words "by or on behalf of the fishing company", the words "or such other security as is acceptable to the Committee has been duly furnished" shall be inserted;

(ii) in clause (a), after the words "registered such mortgage", the words "of the trawlers" shall be inserted.

[No. MSD-47/75-MD]

D. D. JOSHI, Jt. Secy

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 561 (अ).—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नौवहन विकास निधि (ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम नौवहन विकास निधि (ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नौवहन विकास निधि (ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता) नियम 1975 में, नियम 10 के उपनियम (4) में—

(i) शुरू के पैरा में "मत्स्यन कम्पनी द्वारा अथवा उसकी ओर से" शब्दों के पश्चात् "अथवा ऐसी और कोई जमानत जो समिति को स्वीकार्य हो, यथाविधि भेज दी गयी हो" शब्द रखे जायें ।

(ii) खंड (क) में, "ऐसी गिरवी के लिए रजिस्ट्रेशन" से पूर्व "ट्रालरों की" शब्द रखे जायें ।

[सं० एम० एस० डी०-47/75-एम०डी०]

डी० डी० जोशी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975